



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08022021-225003

CG-DL-W-08022021-225003

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 03] नई दिल्ली, जनवरी 31, —फरवरी 6, 2021, शनिवार/ माघ 11— माघ 17, 1942

No. 03] NEW DELHI, JANUARY 31, —FEBRUARY 6, 2021, SATURDAY/MAGHA 11—MAGHA 17, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2021

आ. अ. 07— यतः, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई तालिका के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट, तमिलनाडु राज्य से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में इस तालिका के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला और स्तंभ 3 में अपने नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और तदंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा यथापेक्षित उक्त तालिका के स्तंभ 5 में यथा प्रदर्शित अपने निर्वाचन-खर्चों का लेखा दर्ज करवाने में विफल रहा/रही है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक नोटिस दिए जाने के उपरांत भी उक्त विफलता का न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, अथवा उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरांत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त विफलता के लिए कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को इस आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए निरर्हित घोषित करता है;

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता के कारण
1	2	3	4	5
1	लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 2019	36-थूथुकुडी	श्री रामा कृष्णन. एम, 2/331, बरधीदसन नगर, कुरालकूट्टयई (वाया), बोडीपट्टी, तिरुप्पुर जिला।	अपने निर्वाचन खर्चों का कोई भी लेखा दर्ज करवाने में विफल रहे

[फा. सं. 76/तमिलनाडु-लोकसभा/2019]

आदेश से,

मलय मल्लिक, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 14th January, 2021

O.N. 07.— Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to House of the People, 2019 from the State of Tamil Nadu specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or of Union Territory for a period of three years from the date of this order: -

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Parliamentary Constituency	Name & Address Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1	General Election to House of the People, 2019	36-Thoothukudi	Shri Rama Krishnan. M , 2/331, Baradhidasan Nagar, Kuralkuttai (Via), Bodipatti, Tiruppur District.	Failed to lodge his account of election expenses

[F. No. 76/TN-HP/2019]

By Order,
MALAY MALLICK, Secy.